/

/

/

सतीश कुमार जाटव बनाम.

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 770)
17 मई, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना-मजिस्ट्रेट की वैधता ने निजी उत्तरदाताओं-अभियुक्तों को दंडनीय अपराधों के लिए तलब किया।307, 504, 506 भारतीय दंड संहिता सी. और एस.3(10)(15) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-उच्च न्यायालय ने यू/एस के आवेदन को अनुज्ञात ।482 निजी प्रतिवादियों-अभियुक्तों द्वारा सीआरपीसी को प्राथमिकता दी गई और आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ मजिस्ट्रेट के समन आदेश-चैलेंज-को रद्द कर दिया गयाःउच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक गूढ़, गैर-मौखिक आदेश था-मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की वैधता और वैधता पर उच्च न्यायालय द्वारा दिमाग का कोई स्वतंत्र आवेदन नहीं था-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की कार्यवाही को लंबा करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा-उपरोक्त एक अच्छा आधार और/या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए बिल्कुल भी आधार नहीं हो सकता है जब कथित अपराधों के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था-सरसरी और आकस्मिक तरीके से जिसमें उच्च न्यायालय ने आवेदन का निपटारा किया। 482 सी. आर. पी. सी. और रद्द की गई आपराधिक कार्यवाही की निंदा की जाती है-उच्च न्यायालय का निर्णय तथ्यों के साथ-साथ विधि दोनों में अस्थिर है-मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को समन करने वाला आदेश, तदनुसार, बहाल किया गया-भारतीय दंड संहिता सी.-एस.307, 504 और 506-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम - धारा 3 (10) (15)।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** निर्णयों के एक समूह में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में एक बोलने और तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए। हालाँकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश एक गुप्त, गैर-बोलने वाला आदेश है।अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की वैधता और वैधता पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्वतंत्र विचार नहीं है।मजिस्ट्रेट ने ए जारी किया

/

/

270

271

सतीश कुमार जाटव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

शिकायतकर्ता के दंड प्रक्रिया संहिता **200** और **202** के अंतर्गत दर्ज गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद और चोट प्रमाण पत्र सहित रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद आरोपी के खिलाफ समन।इसे उच्च न्यायालय द्वारा सबसे सरसरी और अनौपचारिक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है।**[**पैरा **6.2] [274-**एच**; 275-**ए-बी**]**

/

2. यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की कार्यवाही को बढ़ाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।जब कथित अपराधों के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था, तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपरोक्त एक अच्छा आधार और/या बिल्कुल भी आधार नहीं हो सकता है।**[**पैरा **6.3] [275-**सी-डी**]**

/

3. उच्च न्यायालय ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को समन करने का आदेश कैसे गलत और/या गलत था।जिस तरह से उच्च न्यायालय ने धारा **482** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन का निपटारा किया है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, उसकी निंदा की जाती है।जब भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **307,504,506** और अधिनियम की धारा **3 (10) (15)** के अंतर्गत अपराधों के लिए गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के अंतर्गत आवेदन पर विचार करते समय और उपरोक्त अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय अधिक सतर्क और चौकस रहना चाहिए था।इन परिस्थितियों अंतर्गत , उच्च

न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश तथ्यों के साथ-साथ विधि दोनों अंतर्गत ही टिकाऊ नहीं है।अभियुक्त को समन करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।**[**पैरा **6** और **7] [275-**डी**-**जी**]**

/

/

/

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2022 की आपराधिक अपील No.770।

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 16.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से।आवेदन (यू/एस 482 Cr.P.C) 2008 का No.14607।

/

सुधीर दीक्षित, विशाल प्रसाद, उत्कर्ष दीक्षित, सुश्री रितिका सेठी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

विनोद दिवाकर, ए. ए. जी., जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वेश सिंह बघेल, गर्वेश काबरा, बी. एन. दुबे, अक्षय सक्सेना, सुश्री दिव्या भल्ला,

/

272

/

/

/

अभिषेक चौहान, तुषार जारवाल, कुणाल दत्त, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और दिनांक 16.09.2019 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।2008 की धारा 482 Cr.P.C. No.14607 के अंतर्गत आवेदन जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत उक्त आवेदन को अनुज्ञात है. जिसमें निजी उत्तरदाताओं द्वारा पसंद किया गया है-मूल अभियुक्त और 2005 के शिकायत मामले No.1199 की आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ 04.02.2008 के समन आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने मूल अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा

307,504,506 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (10) (15) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है।

/

/

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

कि अपीलार्थी ने शुरू में 11.09.2004 पर हुई घटना के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था, क्योंकि पुलिस स्टेशन इंचौली, जिला मेरठ की स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। इसके बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने मिस्क में 04.10.2004 दिनांकित एक आदेश पारित किया।2004 के आवेदन No.390/11 ने स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन इंचौली, जिला मेरठ को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307,504,506 और अधिनियम की धारा 3 (10) (15) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश दिया। दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, उपरोक्त अपराधों के लिए 2004 का आपराधिक मामला संख्या 7 वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।जाँच अधिकारी ने समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की।शिकायतकर्ता के अनुसार स्थानीय पुलिस स्टेशन आरोपी के साथ मिलीभगत कर रहा था और उसे निष्पक्ष जांच के बारे में संदेह था और इसलिए, शिकायतकर्ता ने उपरोक्त अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ 2004 का एक और आपराधिक शिकायत मामला दर्ज किया।

/

/

/

2.1 कि अपराध ए के जांच अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया

/

No.C-7/2004।शिकायतकर्ता ने अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की।विद्वान मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए 21.07.2005 दिनांकित एक आदेश पारित किया।पुलिस की अंतिम रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को 2004 के आपराधिक शिकायत मामले No.2365 की कार्यवाही में मिला दिया गया था जो लर्नड स्पेशल सी. जे. एम. मेरठ की न्यायालय में लंबित था।विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अपना बयान दर्ज किया। इसी तरह, अन्य गवाहों PW1 से PW7 का बयान धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता की चोट की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर लाई गई थी।सभी गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया।इसके बाद विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से एक तर्कपूर्ण और विस्तृत आदेश पारित किया और अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307,504,506 और अधिनियम की धारा 3 (10) (15) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया।

/

/

2.2 प्रत्यर्थियों से व्यथित होने के कारण-मूल अभियुक्त ने आपराधिक विविध के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।2008 का आवेदन No.14607 और धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया। आक्षेपित निर्णय और एक गुप्त, गैर-तर्कपूर्ण एक पैराग्राफ आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है जिसने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।

/

3. मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सुधीर दीक्षित ने जोरदार ढंग से कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाला आक्षेपित निर्णय और आदेश एक गुप्त, गैर-तर्कपूर्ण आदेश है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियों का वर्णन करने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा आगे कोई स्वतंत्र विचार नहीं है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय कोई कारण नहीं दिया गया है।

/

/

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब विद्वान मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 200 और 202 के अंतर्गत दर्ज बयानों पर विचार करने के बाद और चोट की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर सामग्री

पर विचार करने के बाद आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया था, तो धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी।

/

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने शिकायतकर्ता की ओर से की गई दलीलों को अपनाया है।

/

274

/

/

5. श्री जयंत मेहता, प्रतिवादी Nos.2 की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता 4-मूल अभियुक्त ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद और उसके बाद जब उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

/

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।हमने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307,504,506 और अधिनियम की धारा 3 (10) (15) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों को समन करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को पढ़ा और पढ़ा है। हमने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पर भी विचार किया है और उस पर विचार किया है।

/

/

6.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, हमारी राय है कि यह विधि के साथ-साथ तथ्यों पर भी टिकाऊ नहीं है।पक्षों की ओर से पेश वकील द्वारा की गई दलीलें सुनाने के बाद, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर और यहां तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को बुलाने के आदेश की वैधता

और वैधता पर भी आगे कोई चर्चा नहीं हुई है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश एक गुप्त, गैर-तर्कपूर्ण आदेश है।पक्षकारसभक लेल विद्वान वकील द्वारा देल गेल निवेदनकेँ दर्ज कयलाक बाद, आ एकर बाद बिना कोनो आओर कारण देल एक पैराग्राफ आदेश पारित कयलाक बाद, उच्च न्यायालय धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता क अधीन आवेदनकेँ अनुज्ञात देलक अछि आ आअंतर्गत ◌ाधिक कार्यवाहीकेँ रद्द कऽ देलक अछि।पक्षकारसभक लेल वकील द्वारा देल गेल निवेदनक वर्णन करबाक पश्चात एक पैराग्राफ आदेश निम्नलिखित अछि -

/

/

"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और पक्षों के वकील द्वारा की गई दलीलों को भी ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि उपरोक्त मामले की कार्यवाही को लंबा करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। "

/

6.2 उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश एक गुप्त, गैर-भाषी आदेश है।हम ए

/

अभियुक्त को समन करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की वैधता और वैधता पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्वतंत्र विचार नहीं पाया जाता है।विद्वत मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के दंड प्रक्रिया संहिता 200 और 202 के अंतर्गत दर्ज गवाहों के बयानों पर विचार करने और चोट प्रमाण पत्र सहित रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद आरोपी के खिलाफ समन जारी किया।इसे उच्च न्यायालय द्वारा सबसे सरसरी और अनौपचारिक तरीके से दरकिनार कर दिया गया है।जिस तरह से उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन का निपटारा किया है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, उसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं की जाती है।निर्णयों के एक समूह में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में एक बोलने और तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए।

/

/

6.3 यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामले की कार्यवाही को लंबा करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।जब कथित अपराधों के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था, तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपरोक्त एक अच्छा आधार और/या बिल्कुल भी आधार नहीं हो सकता है।

/

6.4 उच्च न्यायालय ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि अभियुक्त को समन करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश कैसे गलत और/या गलत था।जिस तरह से उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन का निपटारा किया है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, उसकी निंदा की जाती है।जब भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता धारा 307,504,506 और अधिनियम की धारा 3 (10) (15) के अंतर्गत अपराधों के लिए गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो उच्च न्यायालय को धारा 482 के अंतर्गत आवेदन पर विचार करते समय और उपरोक्त अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय अधिक सतर्क और चौकस रहना चाहिए था।इन परिस्थितियों अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश तथ्यों के साथ-साथ विधि दोनों अंतर्गत ही टिकाऊ नहीं है।

/

/

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।आपराधिक विविध मामले में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश।2008 का आवेदन No.14607 इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है।अभियुक्त को समन करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।

/

अपील अनुज्ञात ।

/